राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141–2399335, 2399336 ई मेल– ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट–3/16/9386 जयपुर दिनांक 23.05.17

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत एवं आदर्श नियम, 2016 के अनुसार विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु **राज्य के सवाई माधोपुर जिले में किशोर न्याय बोर्ड के 2–सदस्यों, जिसमें से एक महिला सदस्य आवश्यक है, तथा बाडमेर जिले में किशोर न्याय बोर्ड के 1–सदस्य के रिक्त पद हेतु** सामाजिक कार्यकर्ता का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं सामान्य दिशानिर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट **www.sje.rajasthan.gov.in, www.dcrraj.in** से प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर दिनांक 20.06.2017 तक संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

23/5/2017

(जे.सी.देसाई)

निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट–3/16/9387–428 जयपुर दिनांक 23.05.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. सहायक निदेशक/प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई **सवाई माधोपुर एवं बाडमेर** को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन विशेष वाहक द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, की अभिशंषा/अग्रेषण पत्र सहित दिनांक–27.06.17 तक विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन अभ्यर्थी हो ताकि चयन समिति के समक्ष योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विकल्प उपलबध रहे।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ––––––––––।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक